न्यायालय श्री उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

पीठासीन अधिकारीः—श्री रतनलाल रेगर आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्याः—397 / 2017

प्रार्थीगणः—

1. रूगाराम पुत्र श्री दलाराम
2. फुलाराम पुत्र श्री दलाराम
   जाति जाट निवासी मोटानियानगर,
   तहसील ओसियां, जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीगणः—

1. कोजाराम पुत्र श्री सिमाराम
2. धन्नाराम पुत्र श्री सिमाराम
3. केशाराम पुत्र श्री सिमाराम
4. गंगाराम पुत्र श्री सिमाराम
5. मोहनलाल पुत्र श्री बुधाराम
6. भुराराम पुत्र श्री बुधाराम
7. सोनी पत्नी श्री बुधाराम
8. रूगनाथराम पुत्र श्री बगताराम
9. हुकमाराम पुत्र श्री बगताराम
10. भोजाराम पुत्र श्री चुतराराम
11. उगमाराम पुत्र श्री चुतराराम
12. हजारीराम पुत्र श्री लुम्बाराम
13. राजुराम पुत्र श्री जसाराम
14. खेमाराम पुत्र श्री जसाराम
15. भीखाराम पुत्र श्री हरकाराम
16. खुमाराम पुत्र श्री हरकाराम
17. लुम्बाराम पुत्र श्री हरकाराम
18. चुनाराम पुत्र श्री हरकाराम
19. मोहनराम पुत्र श्री हरकाराम
20. सोहनराम पुत्र श्री हरकाराम

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 10:34:26 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, ओसियां

Scanned by CamScanner

21. कालुराम पुत्र श्री हरकाराम
जातियान जाट निवासी ग्राम मोटानिया नगर
तहसील ओसियां, जिला जोधपुर।

उपस्थित –

प्रार्थीगण – **अधिवक्ता श्री राजेन्द्र चौधरी**

अप्रार्थी संख्या 1 से 14 की ओर से **अधिवक्ता श्री घेवरराम विश्नोई।**

निर्णय

दिनांकः– 7/8/19

प्रार्थीगण द्वारा एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया कि :– तहसील ओसियां के ग्राम मोटानियानगर की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 331 रकबा 45 बीघा भूमि प्रार्थीगण के नाम से खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा आई हुई है। उक्त भूमि के दक्षिणी तरफ खसरा नम्बर 330 रकबा 33 बीघा भूमि अप्रार्थीगण के नाम की खातेदारी की व कब्जा काश्त सुदा आई हुई है। उक्त भूमि से आगे खसरा नम्बर 329 व 329/1 के उत्तर में समर्पित खसरा नम्बर 327/2 तथा इसके आगे सड़क आयी हुई है। उपरोक्त वर्णित प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि में आने जाने हेतु कटाणी रास्ते से अप्रार्थीगण की भूमि में से कदीमी रास्ता चलता है जिसे नजरी नक्शे में मार्क ए बी सी से दर्शाया गया है इसके अलावा प्रार्थीगण की भूमि में आने–जाने के लिये दुसरा कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। अप्रार्थीगण ने हाल ही में उक्त रास्ते को अवरूद्ध व बन्द करने पर आमादा है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण को उक्त रास्ता राजस्व रेकर्ड में दर्ज करवाने के लिए कहा किन्तु उक्त रास्ते का मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं हुआ इसलिए प्रार्थीगण न्यायालय हाजा में उक्त रास्ता तय करने एवं राजस्व रेकर्ड में रास्ता दर्ज करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश कर रहे है। प्रार्थीगण को उक्त रास्ता कटाणा के रास्ते अप्रार्थीगण की भूमि के अन्दर 20 फुट चौड़ा रास्ता प्रार्थीगण की भूमि तक तय किया जाकर राजस्व रेकर्ड में [illegible] किया जावें। प्रार्थीगण विधि अनुसार एवं डी.एल.सी. [illegible] के अनुसार रास्ते की भूमि का प्रतिकर न्यायालय द्वारा अवधारित करने [illegible] अदा करने के लिए तैयार

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 10:34:26 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, ओसियां

Scanned by CamScanner

है। प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि में रहवासीय ढाणी बनी हुई है तथा सिंचित भूमि है। कटाण के रास्ते से प्रार्थीगण की भूमि में खाद बीज व अनाज एवं चारा आदि की झाले व ट्रक आने–जाने के लिए 20 फुट चौड़े रास्ते की आवश्यकता है। जिससे कि ट्रक व चारे की झाले आसानी से आ जा सके एवं आवागमन में कोई असुविधा नहीं हो। प्रार्थीगण को उक्त रास्ते की अत्यधिक आवश्यकता है एवं नजरी नक्शे में दर्शाया गया रास्ता लघुतम व निकटतम रास्ता है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि न्यायहित में सड़क से उपरोक्त वर्णित खातेदारी भूमि में प्रार्थीगण को आने–जाने हेतु रास्ता अप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 330, 329, 329/1 में से नजरी नक्शे में दर्शाए गये लाल रंग से मार्क ए बी सी तक 20 फुट चौड़ा रास्ता मंजूर किया जाकर रेकर्ड में रास्ता दर्ज किये जाने का आदेश फरमावें।

यह है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया। अप्रार्थी संख्या 1 से 14 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित। जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया अन्य अप्रार्थीगण अनुपस्थित इनकी ओर से कोई हाजिर नहीं। अप्रार्थीगण द्वारा अपने जवाब प्रार्थना पत्र में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।

भू–अभिलेख निरीक्षक मतोड़ा से मौका फर्द तलब की गई। मौका फर्द दिनांक 09.07.2019 को तैयार की जाकर मय नजरी नक्शा न्यायालय में प्रस्तुत की गई।

यह है कि बहस पक्षकारान अधिवक्ता की सुनी गई बहस पर मनन किया पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया कि नजरी नक्शे में बिन्दू D से E, E से F, व B से G तक प्रार्थीगण द्वारा रास्ता चाहा गया है बिन्दू A से B व B से C मौके पर रास्ता चालु है। नजरी नक्शे अनुसार G से B व F से E व E से D की लम्बाई A से B व B से G की लम्बाई कम है। जिससे यह स्पष्ट है कि मौके [illegible] वक[illegible]क रास्ता मौका फर्द में मार्क A से B व B से C च[illegible] यह सहमति जाहिर की कि वैकल्पिक रास्ता मार्क A से B व [illegible] से C चलता है वहीं पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 10:34:26 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

प्रार्थीगण को रास्ता दे दिया जावें। इस प्रकार जहां वैकल्पिक रास्ता प्रार्थीगण के पास उपलब्ध है वहीं से प्रार्थीगण रास्ता प्राप्त करने के अधिकारी है। प्रार्थीगण के पास वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है। वैकल्पिक रास्ता मौका रिपोर्ट में मार्क A से B व B से C, से ही प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

–::आदेश::–

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर मौका रिपोर्ट में वर्णित वैकल्पिक रास्ता मार्क A से B व B से C जो चल रहा है वहीं से रास्ता दिये जाने की घोषणा की जाती है। तहसीलदार बापिणी मौका फर्द में वर्णित वैकल्पिक रास्ता मार्क A से B व B से C जहां चल रहा है उन्हीं खसरों में से रकबा निर्धारित किया जाकर दर्ज गिरदावरी अनुसार तथा मौके की स्थिति अनुसार निर्धारित डी.एल.सी. की दर से दो गुना प्रतिफल खातेदारान को दिलवाया जाकर नया रास्ता दर्ज किया जाकर नक्शा ट्रेस में तरमीम की जावें। जिसके बाबत् तहसीलदार बापिणी को लिखा जावें, मौका फर्द रिपोर्ट निर्णय का भाग रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

आज दिनांक....7/8/19.... को खुला न्यायालय में आदेश सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 10:34:26 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner